

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-70/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि. प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अंकुश जैन		<ul style="list-style-type: none">मैसर्स करण इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स जरिये प्रोपराइटर योगेन्द्र सिंह 1172, जूनी बागर, महामन्दिर, वार्ड नम्बर 52, जिला जोधपुरयोगेन्द्र सिंह पुत्र रमेश कुमार 1172, जूनी बागर, महामन्दिर, वार्ड नम्बर 52, जिला जोधपुरप्रीति सांखला पत्नि योगेन्द्र सिंह वर्कशाप कॉलोनी, क्वाटर नम्बर 3033, रोटरी चौराहे के पास, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-30.12.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स करण इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स जरिये प्रोपराइटर योगेन्द्र सिंह व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 50,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण योगेन्द्र सिंह पुत्र रमेश कुमार की जायदाद प्लॉट नम्बर 3-बी, महादेव नगर, खसरा नम्बर 8/1 व 8/3, ग्राम झालामण्ड, न्यू हाईकोर्ट रोड, जिला जोधपुर का क्षेत्रफल 1750 वर्ग गज जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में प्लॉट नम्बर 3-बी (पूर्वी भाग) एवं पश्चिम में रास्ता आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में



Signature valid

Digitally signed by Garvav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.12.30 14:26:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19E40305



रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 26.05.2025 तक 32,53,199/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा यतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 50,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 26.05.2025 तक 32,53,199/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद योगेन्द्र सिंह पुत्र रमेश कुमार की जायदाद प्लॉट नम्बर 3-बी, महादेव नगर, खसरा नम्बर 8/1, 8/3, ग्राम झालामण्ड, न्यू हाईकोर्ट रोड, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1750 वर्ग गज जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में प्लॉट नम्बर 3-ए (पूर्वी भाग) एवं पश्चिम में रास्ता आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 14449/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा खर्चा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।



आज दिनांक 30.12.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

RajKaj Ref No.:
19640305

1

Signature valid

Digitally signed by RajKaj Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.12.30 14:26:36 IST
Reason: Approved